विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : वन

अतारांकित प्रश्न संख्या : 276

उत्तर की तिथि : 05.02.2019

विषय : खैर वृक्षों का कटान।

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)

सम्बन्धित मन्त्री : वन मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) प्रदेश में सरकारी एवं वन भूमि पर जो खैर के वृक्ष हैं, उन्हें वन माफिया द्वारा अवैध रूप से काटा जा रहा है; और	प्रदेश के अधिकतर जिलों में सरकारी एवं वन भूमि पर खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। जब भी वन माफिया द्वारा खैर के वृक्षों के अवैध कटान का कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में आता है, उस पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
(ख) क्या सरकार खैर के वृक्षों के कटान व इन्हें बेचने हेतु मामला केन्द्र से उठाएगी; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	खैर के वृक्षों के कटान व इन्हें बेचने हेतु मामला केन्द्र सरकार से उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार खैर के वृक्षों के कटान व इन्हें बेचने हेतु मामला प्रदेश सरकार द्वारा I.A. No. 3840/2014 in Writ Petition (C) 202/1995 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2018 के अन्तर्गत केवल नूरपुर वन मण्डल के नूरपुर वन परिक्षेत्र से खैर प्रजाति, बिलासपुर वन मण्डल के भराड़ी वन परिक्षेत्र से चील प्रजाति तथा पांवटा साहिब वन मण्डल के पांवटा वन परिक्षेत्र से साल प्रजाति के वृक्षों के कटान की अनुमति प्रायोगिक तौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की है। इसका कार्यान्वयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी की देख–रेख में किया जा रहा है। इस प्रयोगात्मक कटान के परिणामों की रिपोर्ट कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में खैर के कटान व इन्हें बेचने बारे विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।

****